जनपद सोनभद्र पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक–01.06.2026

अवैध अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु के प्रकरण में 10,000 रुपये की इनामिया स्टाफ नर्स गिरफ्तार-

थाना कोन पुलिस की त्वरित कार्रवाई, फर्जी चिकित्सकीय गतिविधियों में संलिप्त सहयोगी दाई भी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा श्री अमित कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

ज्ञातव्य है कि कस्बा कोन में अवैध रूप से संचालित ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रसव पीड़ा के दौरान कथित फर्जी चिकित्सकीय उपचार एवं ऑपरेशन के दौरान आशा बहू सीमा देवी की मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना कोन पर मु0अ0सं0-104/2026, धारा 105, 318(4) बीएनएस एवं 34 एनएमसी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर उक्त प्रकरण में वांछित एवं ₹10,000 की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता सलमा पत्नी आसिफ मोहम्मद निवासी देवाटन, थाना कोन, जनपद सोनभद्र तथा उसकी सहयोगी दाई जौरुन बीबी पत्नी करीमन निवासी सिसरी बनखेता, थाना खरौंधी, जनपद गढ़वा (झारखंड) को थाना कोन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. सलमा पत्नी आसिफ मोहम्मद निवासी देवाटन, थाना कोन, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 35 वर्ष।
2. जौरुन बीबी पत्नी करीमन निवासी सिसरी बनखेता, थाना खरौंधी, जनपद गढ़वा (झारखंड), उम्र लगभग 48 वर्ष।

अपराधिक विवरण-

मु0अ0सं0-104/2026, धारा 105, 318(4) बीएनएस एवं 34 एनएमसी एक्ट, थाना कोन, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, थाना कोन, जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 शिव प्रकाश यादव, चौकी प्रभारी चकरिया, थाना कोन, जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 शिव कुमार यादव, थाना कोन, जनपद सोनभद्र।
4. म0रि0का0 स्वधा सिंह, थाना कोन, जनपद सोनभद्र।
5. म0रि0का0 सौम्या तिवारी, थाना कोन, जनपद सोनभद्र।